पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में

दीवानी विविध क्षेत्राधिकार संख्या– 150/2019

= = = =

आवेदन – विभाजन मुकदमे में पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा यह सवाल उठाया गया था कि मुकदमा बनाए रखने योग्य है या नहीं, जिसे खारिज कर दिया गया था।

विभाजन मुकदमा याचिकाकर्ता की पत्नी और बच्चों द्वारा दायर किया गया था। विवादित संपत्ति याचिकाकर्ता की माँ को उपहार में दी गई थी।

इस न्यायालय के सामने प्रमुख प्रश्न यह था कि क्या एक ऐसा मुकदमा, जो बेटों द्वारा अपनी माँ से प्राप्त संपत्ति के विभाजन के लिए दायर किया गया है, जिसे माँ ने स्वविवेक से अर्जित किया था, विभाजन का विषय बन सकता है और क्या ऐसा मुकदमा बनाए रखने योग्य होगा।

निर्णय – एक महिला हिंदू संपत्ति को पूर्ण मालिक के रूप में रखती है और ऐसी संपत्ति के बारे में कोई भी सहकुलत्व (coparcenary) का सवाल नहीं है, और इसे संयुक्त परिवार की संपत्ति का हिस्सा नहीं माना जा सकता, जिसमें सहकुल का कोई अधिकार हो सकता है। यदि ऐसी संपत्ति के विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया गया है और यह अस्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुछ अन्य संपत्ति बाद में मुकदमे के विषय में जोड़ी जा सकती है, तो ऐसी अस्पष्ट दावे के आधार पर मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं हो सकता, यदि वर्तमान विषय वस्तु एक महिला हिंदू द्वारा अपने बेटों को विरासत में दी गई संपत्ति है। (पैरा 13)

सीखत न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र में गलती की और गलत तरीके से इसे exercise करने से इंकार किया। न्यायालय ने विभाजन की बनाए रखने की विषय पर प्राथमिक मुद्दा तैयार करना चाहिए था और उसे कानून के अनुसार निपटाना चाहिए था। (पैरा 16)

आवेदन स्वीकार किया गया। (पैरा 18)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

= = = =

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपित आदेश पूरी तरह से गलत है और विद्वान ट्रायल कोर्ट ने न्यायिक दिमाग के इस्तेमाल के बिना और कानून के प्रावधानों के खिलाफ आदेश पारित किया है। विद्वान ट्रायल कोर्ट इस बात पर विचार करने में विफल रहा है कि स्थिरता का सवाल पूरी तरह से कानून का सवाल था क्योंकि विवादित जमीन पैतृक संपत्ति नहीं है, बल्कि याचिकाकर्ता को उसकी मां से विरासत में मिली संपत्ति है और इस कारण से याचिकाकर्ता के जीवनकाल के दौरान इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। चूंकि संपत्ति पैतृक या सहदायिक नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता को कोई अधिकार नहीं मिलता है और मुकदमा लाने के लिए कोई कार्रवाई का कारण नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि विद्वान ट्रायल कोर्ट गलत तरीके से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सवाल में तथ्यों की जांच शामिल है और तथ्यों की जांच की आवश्यकता वाले मुद्दों को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में नहीं माना जा सकता है। ***सत्यनाथ और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय। वी. सरोजमणि ने (2022) 7 एससीसी 644*** में पैराग्राफ 21 में कहा है कि प्रारंभिक मुद्दे वे हो सकते हैं जहां कोई सबूत की आवश्यकता नहीं है और शिकायत या लागू कानून को पढ़ने के आधार पर, यदि अदालत का अधिकार क्षेत्र या मुकदमे पर रोक लगाई जाती है, तो अदालत ऐसे मुद्दों को शीघ्र निर्णय के एकमात्र उद्देश्य से तय कर सकती है। इस प्रकार, यदि अदालत के पास अधिकार क्षेत्र की कमी है या कोई वैधानिक रोक है, तो ऐसे मुद्दे को पहले उदाहरण में तय किया जाना आवश्यक है ताकि सिविल कोर्ट की प्रक्रिया का वादियों द्वारा दुरुपयोग न हो, जो झूठे बहाने पर कार्यवाही में देरी करने के लिए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता (जिसे आगे 'संहिता' कहा जाएगा) के आदेश 14 नियम 2 (2) में यह प्रावधान है कि जहां एक ही मुकदमे में कानून और तथ्य दोनों के मुद्दे उठते हैं और न्यायालय की राय है कि मुकदमे या उसके किसी भाग का निपटारा केवल कानून के मुद्दे पर किया जा सकता है, वह पहले उस मुद्दे पर सुनवाई कर सकता है यदि वह मुद्दा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है या किसी कानून द्वारा मुकदमे पर लगाई गई रोक से संबंधित है। मुकदमे को कम करने और पक्षों को परेशान होने से बचाने के लिए यह प्रावधान पेश किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि विवादित आदेश संधारणीय नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

4. हालांकि, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की ओर से की गई दलील का पुरजोर विरोध किया। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि मां की संपत्ति जो याचिकाकर्ता और उसके अन्य भाइयों को विरासत में मिली थी, वह सहदायिक संपत्ति की प्रकृति के अंतर्गत आ सकती है और प्रतिवादियों के प्रथम सेट/वादी के पास निहित अधिकार हैं। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने ***रोहित चौहान बनाम सुरिंदर सिंह और अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। 2014 (1) पीएलजेआर 64 (एससी)*** में रिपोर्ट किया गया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि

मुकदमे की स्थिरता को इस आधार पर चुनौती दी जा रही है कि कोई कार्रवाई का कारण नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने ***(2019) 7 एससीसी 158*** में रिपोर्ट किए गए ***माधव प्रसाद अग्रवाल और अन्य बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड और अन्य*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि सभी प्रतिवादी मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने के लिए आगे नहीं आए हैं और इसलिए केवल याचिकाकर्ता के आधार पर मुकदमे को खारिज नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने ***पी.वी. गुरु राज रेड्डी एवं अन्य बनाम पी. नीरदा रेड्डी एवं अन्य (2015) 8 एससीसी 331*** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए इस तथ्य पर बल दिया कि आदेश 7 नियम 11 के तहत शिकायत को खारिज करने के लिए शिकायत के सभी कथनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, न कि केवल कुछ भागों को। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि वर्तमान मामले में, पैराग्राफ 6 में, वादी/प्रतिवादी प्रथम सेट ने कुछ संयुक्त परिवार की संपत्ति के अस्तित्व के बारे में भी दावा किया है जिसके लिए वे बाद में मुकदमे में संशोधन पेश करेंगे। इसलिए, कार्रवाई का कारण है और मुकदमा किसी भी कानून द्वारा वर्जित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि जब किसी मुद्दे में तथ्यों की जांच की आवश्यकता होती है, तो उसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में नहीं माना जा सकता है और इस पहलू पर, उन्होंने ***सत्ती परदेशी समाधि और पिल्लयार मंदिर बनाम एम. संकुंतला (मृत)*** के मामले में कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जो ***(2015) 5 एससीसी 675*** में रिपोर्ट किया गया था।

5. मैंने विवादित मुद्दों पर गहन विचार किया है। इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या बेटों द्वारा अपनी मां से विरासत में प्राप्त संपत्ति के विभाजन के लिए दायर किया गया मुकदमा, जो मां की स्वयं अर्जित संपत्ति थी, विभाजन का विषय हो सकता है, जैसा कि ऐसी महिला की पत्नी और बेटों द्वारा दावा किया गया है और ऐसा मुकदमा स्वीकार्य होगा। इसके अलावा, इस आधार पर स्वीकार्यता का प्रश्न संहिता के आदेश 14 नियम 2 (2) के तहत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में उठाया जा सकता है।

6. संहिता के आदेश 14 नियम 2 (2) में निम्न प्रकार लिखा है:

> *"**2. न्यायालय सभी मुद्दों पर निर्णय सुनाएगा**–(1) इस बात के बावजूद कि किसी मामले का निपटारा प्रारंभिक मुद्दे पर किया जा सकता है, न्यायालय उप नियम (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए सभी मुद्दों पर निर्णय सुनाएगा।*
>
> *(2) जहां एक ही मुकदमे में विधि और तथ्य दोनों के मुद्दे उठते हैं, और न्यायालय की राय है कि मामले या उसके किसी भाग का निपटारा केवल विधि के मुद्दे पर किया जा सकता है, वह पहले उस मुद्दे पर विचार कर सकता है यदि वह मुद्दा निम्नलिखित से संबंधित है–*
>
> *(क) न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, या*

(ख) किसी कानून द्वारा मुकदमे पर लगाई गई रोक,

और उस उद्देश्य के लिए, यदि वह उचित समझे, तो उस मुद्दे के निर्धारित होने तक अन्य मुद्दों के निपटारे को स्थगित कर सकता है, और उस मुद्दे पर निर्णय के अनुसार मुकदमे से निपट सकता है।"

7. अधिनियम 104, 1976 द्वारा संशोधन से पूर्व आदेश 14 नियम 2 इस प्रकार है:

*"2. **विधि और तथ्य के मुद्दे.–** जहां विधि और तथ्य दोनों के मुद्दे एक ही मुकदमे में उठते हैं, और न्यायालय की राय है कि मामले या उसके किसी भाग का निपटारा केवल विधि के मुद्दों पर किया जा सकता है, तो वह पहले उन मुद्दों पर विचार करेगा, और उस उद्देश्य के लिए, यदि वह उचित समझे, तो विधि के मुद्दों के निर्धारण के बाद तक तथ्य के मुद्दों के निपटारे को स्थगित कर सकता है।"*

8. उक्त प्रावधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ***एस.एस. खन्ना बनाम एफ.जे. डिलन*** के मामले में विचारार्थ आया, जिसकी रिपोर्ट ***एआईआर 1964 एससी 497*** में दी गई थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि संहिता के आदेश 14 नियम 2 के तहत जहां एक ही मुकदमे में कानून और तथ्य दोनों के मुद्दे उठते हैं और न्यायालय की राय है कि मामले या उसके किसी भाग का निपटारा केवल कानून के मुद्दों पर किया जा सकता है, वह पहले उन मुद्दों पर विचार करेगा और तथ्य के मुद्दों के निपटारे को तब तक के लिए स्थगित कर देगा जब तक कि कानून के अन्य मुद्दे निर्धारित नहीं हो जाते। इसे निम्नानुसार माना गया:

"18. ... सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 नियम 2 के तहत, जहाँ एक ही मुकदमे में विधि और तथ्य दोनों के मुद्दे उठते हैं, और न्यायालय की राय है कि मुकदमे या उसके किसी भाग का निपटारा केवल विधि के मुद्दों पर किया जा सकता है, तो वह पहले उन मुद्दों पर सुनवाई करेगा, और उस उद्देश्य के लिए, यदि वह उचित समझे, तो विधि के मुद्दों के निर्धारण के बाद तक तथ्य के मुद्दों के निपटारे को स्थगित कर सकता है। तथ्य के मुद्दों से अलग विधि के मुद्दों पर सुनवाई करने का अधिकार केवल तभी प्रयोग किया जा सकता है, जब न्यायालय की राय में पूरे मुकदमे का निपटारा केवल विधि के मुद्दों पर किया जा सकता है, लेकिन संहिता न्यायालय को विधि और तथ्य के मिश्रित मुद्दों पर प्रारंभिक मुद्दों के रूप में मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहीं देती है। आम तौर पर किसी मुकदमे में सभी मुद्दों पर न्यायालय द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए: ऐसा

न करना, खासकर जब विधि के मुद्दों पर निर्णय, यहाँ तक कि तथ्य के मुद्दों के निर्णय पर निर्भर करता है, मुकदमे की एकतरफा सुनवाई का परिणाम होगा।"

9. वर्तमान मामला उस श्रेणी में आएगा, जहां मुकदमा कानून द्वारा इस कारण वर्जित है कि हिंदू महिला की संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं माना जा सकता है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम उसके बेटों या उसके बेटों के बेटों या ऐसी महिला की बहू के कहने पर ऐसी संपत्ति का विभाजन रोकता है।

10. अब प्रश्न यह उठता है कि यदि वादपत्र में दिए गए कथनों से यह प्रारंभिक मुद्दा तैयार किया जा सकता है कि विषय वस्तु सहदायिक संपत्ति नहीं है और इस कारण से विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो क्या मुकदमा आगे बढ़ने दिया जा सकता है, जब ऐसे मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी गई हो?

11. प्रारंभिक मुद्दे को तैयार करने से संबंधित कानून माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कई मामलों में आया है और ***सत्यनाथ*** (सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 21 में निम्नानुसार माना है:

> *"**21.** आदेश 14 नियम 2 के प्रावधान प्रक्रियात्मक कानून का हिस्सा हैं, लेकिन तथ्य यह है कि इस तरह के प्रक्रियात्मक कानून को लिस के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था और प्रारंभिक मुद्दे पर निष्कर्षों को अलग रखने की स्थिति में, रिमांड की संभावना से बचा जा सकता है, जैसा कि असंशोधित आदेश 14 नियम 2 से पहले की भाषा थी। यदि मुद्दा कानून और तथ्य का मिश्रित मुद्दा है, या कानून का मुद्दा तथ्य के निर्णय पर निर्भर करता है, तो ऐसे मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में नहीं माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, प्रारंभिक मुद्दे वे हो सकते हैं जहां कोई सबूत की आवश्यकता नहीं है और वाद या लागू कानून को पढ़ने के आधार पर, यदि अदालत का अधिकार क्षेत्र या मुकदमे पर रोक लगाई जाती है, तो अदालत ऐसे मुद्दों को शीघ्र निर्णय के एकमात्र उद्देश्य से तय कर सकती है। इस प्रकार, यदि अदालत के पास अधिकार क्षेत्र की कमी है या कोई वैधानिक रोक है, तो ऐसे मुद्दे को पहले उदाहरण में तय किया जाना आवश्यक है ताकि प्रक्रिया सिविल कोर्ट के अधिकार का दुरुपयोग वादीगण द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, जो झूठे बहाने बनाकर कार्यवाही में देरी करने के लिए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।"*

12. वर्तमान मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि यह मुकदमा एक संपत्ति के विभाजन के लिए लाया गया है जो छट्ठो देवी के बेटों को हस्तांतरित हुई थी, जो उन्हें उनके पिता से उपहार विलेख के

माध्यम से मिली थी और यह पक्षकारों की स्वीकृत स्थिति है। क्या ऐसी संपत्ति को सहदायिक संपत्ति कहा जा सकता है? सहदायिक संपत्ति का अर्थ है वह संपत्ति जिसमें पैतृक संपत्ति शामिल है और सहदायिक का अर्थ है वह व्यक्ति जो समान पूर्वज की संपत्ति में दूसरों के साथ समान रूप से हिस्सा लेता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 में प्रावधान है कि किसी हिंदू महिला के पास कोई भी संपत्ति, चाहे वह अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में अर्जित की गई हो, वह उसे पूर्ण स्वामी के रूप में रखेगी न कि सीमित स्वामी के रूप में। यहां तक कि एक हिंदू महिला के हाथों में आने वाली सहदायिक संपत्ति भी उसके द्वारा वसीयतनामा निपटान के माध्यम से निपटाने योग्य संपत्ति बन जाती है। अधिनियम की धारा 16 में उत्तराधिकार के क्रम और बिना वसीयत के मरने वाली हिंदू महिला के उत्तराधिकारियों के बीच वितरण के तरीके का प्रावधान है।

13. उपर्युक्त प्रावधानों, विशेषकर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 और 16 को मिलाकर पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि हिंदू महिला संपत्ति पर पूर्ण स्वामी के रूप में अधिकार रखती है और ऐसी संपत्ति के संबंध में किसी सहदायिकता का प्रश्न ही नहीं उठता और इसे संयुक्त परिवार की संपत्ति का हिस्सा नहीं माना जा सकता, जिसमें सहदायिकता का कोई अधिकार हो सकता है। यदि ऐसी संपत्ति के विभाजन के लिए वाद इस अस्पष्ट दावे के साथ दायर किया गया है कि कुछ अन्य संपत्तियां हैं जिन्हें बाद में वाद के विषय–वस्तु में जोड़ा जा सकता है, तो ऐसे अस्पष्ट दावे पर वाद को बनाए रखने योग्य नहीं पाया जा सकता, यदि वर्तमान विषय–वस्तु एक हिंदू महिला के बेटों को हस्तांतरित संपत्ति है।

14. ***सत्यनाथ*** (सुप्रा) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, वाद के तथ्यों से उत्पन्न मुकदमे की स्थिरता का मुद्दा भी प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तैयार किया जा सकता है और उसका निपटारा किया जा सकता है।

15. जहां तक प्रतिवादी प्रथम द्वारा उद्धृत प्राधिकरण का सवाल है, मुझे लगता है कि इन प्राधिकरणों का वर्तमान याचिका में शामिल मुद्दों पर कोई असर नहीं है। प्रतिवादी प्रथम के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ***रोहित चौहान*** (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा करना पूरी तरह से गलत है क्योंकि उक्त मामले में यह कभी नहीं माना गया है कि एक हिंदू महिला के हाथ में संपत्ति एक संयुक्त परिवार की संपत्ति बन जाएगी, जिसे ऐसी हिंदू महिला के बेटे की पत्नी और बेटों के कहने पर भी विभाजित किया जा सकता है। इसी तरह, प्रतिवादी प्रथम के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत अन्य प्राधिकरण कानून के अलग–अलग प्रस्तावों पर हैं, जो वर्तमान मामले में बिल्कुल भी लागू नहीं हैं।

16. अब तक की गई चर्चा के आलोक में, मेरा विचार है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र की त्रुटि की है और अपने अधिकार क्षेत्र का गलत तरीके से प्रयोग करने से इनकार कर दिया है। विद्वान

ट्रायल कोर्ट को रखरखाव के संबंध में प्रारंभिक मुद्दा तैयार करना चाहिए था और कानून के अनुसार उसका निपटारा करना चाहिए था।

17. तदनुसार, दिनांक 25.06.2018 के आरोपित आदेश को रद्द किया जाता है और विद्वान ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह सुनवाई योग्य होने के संबंध में एक प्रारंभिक मुद्दा तैयार करे और संहिता के आदेश 14 नियम 2 (2) के अनुसार उसका निपटारा करे।

18. तत्काल याचिका स्वीकार की जाती है।

19. प्रतिवादी प्रथम पक्ष कानून के अनुसार उचित तरीके से उचित मंच के समक्ष अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

वी.के.पाण्डेय/–

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।